२७/०८/२५

पत्रा० पेश हुई। वादी वकील उप०। वादी वकील की एकतरफा बहस सुनी गई। मूल वाद में P.D जारी करने बाबत सहमति प्रदान की। अधिवक्ता ने उभयपक्षकारान को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक पाबंद करने का निवेदन किया बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दावा 53 का है एवं एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। एवं वादी अधिवक्ता ने P.D जारी बाबत सहमति भी प्रदान की जा चुकी है। ऐसे में मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्षकारान को मौके व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत रखने बाबत पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पाबन्द किया जाता है। एवं पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बरान से कम हो। एवं मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:04:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner